

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र
दैनिक कार्य सूची
गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 4, 1933)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कापॉरेशन लिमिटेड, भोपाल का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं दतिया में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, मंदसौर जिले में गलघोंटू नामक बीमारी से पशुओं की मौत होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 167, शाजापुर से निर्वाचित सदस्य, श्री हुकुम सिंह कराड़ा को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र की दिनांक 22 फरवरी से 4 अप्रैल, 2012 तक सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी –

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है. "

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के-

- (क) ग्राम रहंगी के वार्ड क्र. 10 एवं 11 में सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम सैदवारा एवं ग्राम रहंगी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,

(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के-

- (क) ग्राम चोखोरी में विद्युत व्यवस्था किये जाने,
- (ख) ग्राम माधौपुरा में नवीन विद्युत तार लगाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम मजरूआ में स्वराज भवन निर्माण किये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के-

- (क) ग्राम चांदपुरा में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम राय आमला बधौड़ा में बांध निर्माण किये जाने,

(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के-

- (क) ग्राम "चंदोरा " खुर्द एवं बाड़ेगांव की सीमा पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (ख) ग्राम जांम से ग्राम बुआल खापा तक पक्का मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम पौनी में चिबड्या बांध का निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम महिलावाड़ी के माध्यमिक शाला भवन को स्वीकृत किये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम खंभारा में हाईवे रोड से खंभारा बस्ती तक सड़क निर्माण किये जाने,

(5) श्री दीपक सक्सेना, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के-

- (क) शासकीय हाई स्कूल नौनिया करवल का उन्नयन किये जाने,
- (ख) शासकीय हाई स्कूल कुकड़ाजगत का उन्नयन किये जाने,
- (ग) शासकीय हाई स्कूल सोनाखार का उन्नयन किये जाने,
- (घ) शासकीय माध्यमिक शाला सिवनी प्राणमोती को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) शासकीय माध्यमिक शाला शहपुरा को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (च) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरई कला को 30 विस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने, तथा
- (छ) कुहिया से कुहिया ढाना मार्ग स्वीकृत किये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा –

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

भोपाल :
दिनांक : 22 फरवरी, 2012

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा